नीचे हाशिए में नहीं लिखें

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न क्रमांक

अनुमान समिति

(a) जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठित

(b) सदस्य- 30, पूर्ण लोकसभा)

(c) कार्य- संगठन में सुधार कैसे लाए, प्रशासन में दक्षता कैसे लाए, व्यय में मितव्ययिता कैसे प्राप्त करे इस संबंध में सुझाव।

(d) भाग - 11

संविधान के भाग - 11 में केन्द्र राज्य प्रशासनिक व विधायी संबंधो का वर्णन किया गया है।

प्रशासनिक संबंध- अनु० 256-263

विधायी संबंध अनु० 245-255

(e) अनु 311

लोक सेवको को हटाने के लिए संविधान में वर्णित विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना। अर्थात संविधान सम्मत तरीके से ही

गुरुकुल आई.सी.एस.
(An institute for civil services)
2nd माला, सुंदरम काम्पलेक्स, भंवरकुआँ मेन रोड, इन्दौर
9827462437, 0731-2465085, 0731-2367970

लोक सेवक हटाए जा सकेंगे।

2

न्यायिक सक्रियता

न्यायालय की स्वयं एवं जब शासन के अन्य अंग संविधान सम्मत तरीके से कार्य न करे तो हस्तक्षेप करने या सक्रियता की प्रवृत्ति।

विधि के शासन एवं संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु न्यायपालिका इसका प्रयोग करती है।

6

~~मूल ढाँचा~~

~~संविधान के वह भाग जिनके बिना संविधान की~~

6

मूल ढाँचा - ये संविधान के आधार स्तम्भ है - संविधान की भावना इनके बिना शून्य होती है।

केशवानंद भारती मामला (1973) बोम्मई वाद (1994)

इससे संबंधित उदाहरण है।

II संपत्ति का अधिकार (अनु० 31-ए)

संपत्ति का अधिकार को संविधान द्वारा पहले सुरक्षा प्राप्त थी क्योंकि यह अनु० 19 के अधीन एक मूल अधिकार था किन्तु 44 संविधान संशोधन अधि 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया।

I समान नागरिक संहिता

(i) नीति निदेशक तत्वों के अनु० 44 में वर्णित।

(ii) तात्पर्य => देश में समस्त नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू।

(iii) तीन तलाक मामले के बाद से समान नागरिक संहिता का मुद्दा तीव्र हुआ है।

नीचे हाशिएं में नहीं लिखें

J

भाषायी अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी

संविधान में अनु० 350-B में भाषायी अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी का उपबंध किया गया है।

उद्देश्य → भाषायी अल्पसंख्यक हितों की रक्षा।

K

(CAG)

संविधान के अनु० 148-151 के मध्य कैग की नियुक्ति योग्यता कार्य व शक्ति का वर्णन किया गया है।

ये भारत की वित्तीय प्रणाली के नियंत्रक है एवं सरकार, सरकारी विभागों, लोक उपक्रमों के लेखाओं की लेखा परीक्षा का दायित्व इन्हें सौंपा गया है।

2 अखिल भारतीय सेवाएं

प्रावधान - अनु॰ 312
सेवाएं - IAS, IPS, IFS (राज्यों में)
भर्ती - UPSC द्वारा
नियुक्ति - राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त

3 वित्तीय आपात (अनु॰ 360)

(i) जब देश मे वित्तीय संकट या मंदी का संकट हो।

(ii) इस दौरान केन्द्र राज्य वित्तीय संबंध प्रभावित होते है।

(iii) कर्मचारियों के वेतन-भत्ते मे कटौती की जा सकती है।

(iv) अनिश्चित काल हेतु लगाया जा सकता है।

15 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

सत्ता मे सहभागिता व निर्णय लेने की शक्ति का स्थानीय स्तर तक विस्तार करना, विकेन्द्रीकरण कहलाता है।

73 वे संविधान संशोधन 1992 को इस दिशा मे बेहतर कदम माना जा सकता है।

10 ~~के. एम. पणिक्कर~~

~~संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यो मे से एक~~

10 के. एम. पणिक्कर

फजल अली समिति (राज्य पुनर्गठन आयोग 1953)

के सदस्यो मे से एक

2 A

भारत की चुनावी व्यवस्था में इलेo वोटिंग के प्रभाव

भारत में ई. वी. एम की शुरुआत 1981 में केरल के चुनावों में हुई तत्पश्चात 1998 में मध्यप्रदेश व राजस्थान के चुनावों में इसका प्रयोग हुआ।

इसके प्रभाव निम्नलिखित है-

(i) आसान प्रक्रिया
अपने पसंद के प्रत्याशी के चिन्ह के सामने की बटन दबा कर वोटिंग सम्पन्न हो जाती है।

(ii)
गणना में लगने वाला समय घटा है।

(iii) परिणामों की शीघ्र घोषणा।

(iv) हेर-फेर की संभावना नहीं अतः धांधले बाजी नहीं हो पाती।

(v) वी. वी. पैट मशीन यह सुनिश्चित करता है कि आपका वोट आपके प्रत्याशी को ही प्राप्त हुआ

नीचे ह
में, नहीं

नकारात्मक प्रभाव

(i) संसद में बार-बार मशीन हैकिंग के आरोप।

(ii) इलेक्ट्रानिक डिवाइस है तो खराब होने की समस्या।

(iii)

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

पीछे हाशिए में नहीं लिखें

B

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

स्थापना →

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना NGT-Act 2010 द्वारा हुई।

उद्देश्य →

(i) पर्यावरण संबंधी मामलों का बोझ सुप्रीम कोर्ट से कम करना।

(ii) निम्न मामले- (क) पर्यावरण प्रदूषण
(ख) पर्यावरण संरक्षण
(ग) जैवविविधता
की सुनवाई।

(iii) पर्यावरण कानूनों को लागू करना एवं सुरक्षा प्रदान करना।

(iv) अवमानना करने वाली इकाईयों को दण्डित करना।

(v) पर्यावरण संबंधी मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना।

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

(7) बेहतर पर्यावरण हेतु आवश्यक आदेशों का संचालन।

प्रश्न क्रमांक
मुख्य परीक्षा
म.प्र. लोक सेवा आयोग

संविधान की एकीकरण की प्रवृत्तियाँ

(i) सशक्त केन्द्र
केन्द्र को महत्वपूर्ण विषय (रक्षा, विदेश, संचार)
ज्यादा विषय (100)

(ii) राज्य अनश्वर नहीं

केन्द्र राज्यों का निर्माण, नाम, क्षेत्र संशोधन
साधारण बहुमत द्वारा कर सकते है

(iii) लचीला संविधान
संसद को आधे से ज्यादा कानूनों को
बिना राज्यों की सहमति संशोधन की
शक्ति।

(iv) राज्यपाल की नियुक्ति

राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र द्वारा किन्तु
राज्य को नियंत्रित करता है

(v) एकीकृत निर्वाचन व लेखा नियंत्रक

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग केन्द्र व राज्य

गुरुकुल आई.सी.एस.
(An institute for civil services)
2nd माला, सुंदरम कॉम्पलेक्स, भंवरकुआँ मेन रोड, इन्दौर
9827462437, 0731-2465085, 0731-2367970

नीचे हाशिएं में नहीं लिखें

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

दोनों हेतु निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराते हैं वहीं केंद्र व राज्य दोनों के लेखाओं की परीक्षा करते हैं।

अखिल भारतीय सेवाएं

केंद्र एवं नियुक्त होते हैं किंतु सेवा राज्यों में देते हैं। ये राज्य के शासन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिये में नहीं लिखें

D

स्वैच्छिक संगठन सरकारी एजेंसियों के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं।

स्वैच्छिक संगठन (स्वेच्छा से गठित)

- CBO
- NGO
- Self helping groups

समुदाय आधारित संगठन - ग्रामों में विकास कार्यों, न केवल अवसंरचना बल्कि सामाजिक व आर्थिक उन्नयन में भी शासन के बड़े सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

वहीं एन.जी.ओ. वंचित वर्गों, महिलाओं एवं अन्य सामाजिक उद्देश्यों हेतु निर्मित किए जाते हैं, तथा इन वर्गों की आवाज शासन तक पहुँचाते हैं ये संगठन हैं।

वंचित वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सहायता के कार्य में भी दूर दराज इलाकों में कार्यरत रहते हैं।

चाहे महामारी हो, या आपदा इनके कार्य शासन की कड़ियों से कम नहीं है।

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिए में नहीं लिखें

इस प्रकार स्वैच्छिक संगठनों के शासन के कार्यों में सहभागिता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संगठन सरकारी एजेंसियों के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं।

निवारक नियेन्ध

6

संविधान के अनु० २२ मे निवारक निरोध का वर्णन किया गया है।

~~इस अनु~~ यह एक ऐसी ~~व~~ प्रक्रिया है जिसमे किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही रोका जाता है।

निवारक निरोध किया गया व्यक्ति कम से कम 3 माह जेल मे निरोध किया जाता है।

किन्तु उसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है और निरोध का कारण बताया जाता है।

इस व्यवस्था के कारण

(1) आतंकवाद एवं विनाशक गतिविधि पर नियंत्रण।

(2) सांम्प्रदायिक दंगो मे पूर्व विद्रोहियों को निष्क्रिय करना।

(3) अलगाववादियो पर नियंत्रण स्थापना।

(vi) देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा।

(vii) आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा हेतु।

कुछ निवारक निरोध कानून-

(i) TADA - 1987

(ii) POTA

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

न्यायिक पुनरावलोकन (अनु० 137)

विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों एवं प्रशासन के कार्यों की संवैधानिकता का परीक्षण करने का न्यायपालिका का एक उपकरण है।

इसमें संसद द्वारा निर्मित अनु० 13 के अंतर्गत जो विधियां एवं निर्णय संविधान के प्रावधानों का अतिलंघन करते हैं उन्हें न्यायपालिका शून्य घोषित कर देती है।

लाभ →

(1) विधायिका एवं कार्यपालिका की मनमानी रोकना।

(2) सरकार को निरंकुश होने से रोकना।

(3) विधि का शासन सुनिश्चित करना।

(4) संविधान की सर्वोच्चता की स्थापना करना।

उदाहरण → न्यायपालिका ने NJAC को असंवैधानिक करार दिया।

1

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है।

मीडिया से तात्पर्य है (माध्यम) जो जनता एवं शासन के बीच संवाद का माध्यम होता है।

इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहते हैं क्योंकि यह शासन के अन्य तीनों अंगों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

इसकी निम्न विधियाँ हैं-

(i) विधायिका एवं कार्यपालिका की मनमानी का सार्वजनीकरण करना।

(ii) शासन की अकर्मण्यता पर प्रकाश डालना।

(iii) शासन की गलत नीतियों की आलोचना करना।

(iv) सरकार की योजनाओं की समीक्षा करना एवं वाद-विवाद द्वारा तथ्यों को समझाना।

(v) शासन मे व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करना

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

1. जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना।

2. नागरिकों में देश के प्रति एवं उसके वासियों के प्रति जागरूक बनाना।

3. स्वतंत्रता, समानता की भावना का प्रसार।

4. मानवाधिकार उल्लंघन मामलों को सरकार तक पहुंचाना।

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिएं में नहीं लिखें

J

नक्सलवाद

पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव मे 70 के दशक मे चारु मजुमदार एवं अन्य साथियों ने लेनिन व माओत्से तुंग की विचारधारा अपनाते हुए नक्सलवाद की स्थापना की।

इसके कारण निम्नलिखित है-

(I) सरकारी उपेक्षा

नक्सल प्रभावित क्षेत्र सरकार की उपेक्षा के कारण निर्मित हुए हैं इन क्षेत्रों मे शिक्षा स्वास्थ्य, अवसंरचनाओं का आभाव रहा है

(II) संस्कृतियों पर चोट

स्थानीय समुदायों पर कानून अध्यारोपित किया, उनके परम्परागत अधिकारों व संस्कृतियों पर चोट किया गया।

(III) शोषण

स्थानीय समुदायों का पहले जमींदार, फिर अंग्रेज और अब शासन के लोगों द्वारा शोषण किया गया।

(a) संचार साधनों से अनभिज्ञता।

संचार के अभाव में ये लोग बाहरी दुनिया एवं शासन से जुड़ नहीं पाते।

(b) बाह्य एजेन्टों की भूमिका।

चीन जैसे देशों का समर्थन, हथियार व वित्त पोषण।

(c) प्रभावित क्षेत्रों का निम्न जीवन स्तर

खराब स्वास्थ्य दशा, भुखमरी, अशिक्षा

(d) विचारधारा

ज्यादातर नक्सलवादी वामपन्थ से प्रभावित है एवं अपनी समस्त दुर्दशा हेतु शासन को जिम्मेदार मानते है।

नीचे हाशिएं में नहीं लिखें

संवैधानिक प्रावधान- (महिला)

(i) विधि के समक्ष समानता (अनु 14)
पुरुष व स्त्री में कोई विभेद नहीं।

(ii) अवसर की समानता (अनु० 16)
सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान किये जाएंगे।

(iii) अनु० 23- महिलाओं का दुर्व्यापार रोका जाना।

(iv) समान वेतन सुनिश्चित करना- अनु० 39

(v) प्रसूति दौरान लोक सहायता का अधिकार- अनु 42

(vi) समान नागरिक संहिता- अनु० 44

(vii) अनु० 51-A मूल कर्तव्य (महिलाओं की गरिमा को चोट करने वाली प्रथाओं का त्याग)

(viii) 243-D → महिलाओं को 33% आरक्षण।

प्रश्न क्रमांक	मुख्य परीक्षा म.प्र. लोक सेवा आयोग
2	म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधि. 2010
	लागू → 25-सितम्बर - 2011
	उद्देश्य → गुणवत्तापूर्ण सेवा समय समवलता शिकायत निवारण
	प्रावधान →
	(i) उच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवायें।
	(ii) समय पर सेवा प्रदान करना।
	(iii) त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली।
	(iv) सेवाओं को डिजटल माध्यम से प्रदाय।
	(v) सेवाओं में पारदर्शिता।
	(vi) कम व्यय एवं कम समय में सेवा।
	(vii) सेवा दक्षताओं में वृद्धि।

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिए में नहीं लिखें

~~स्थानीय स्वशा~~

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

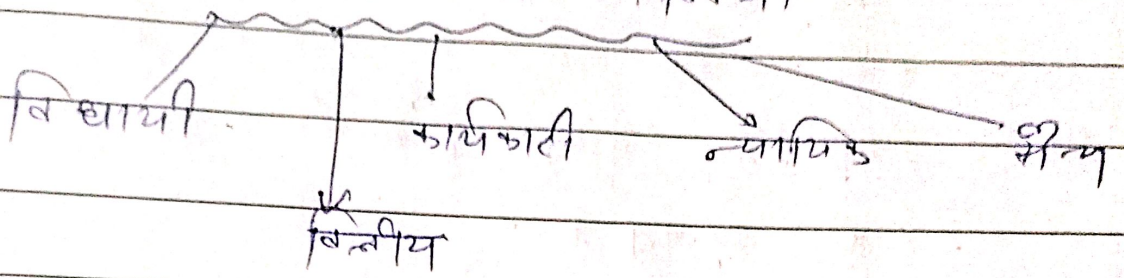

(1) विधायी → (i) अध्यादेश जारी करना (अनु० 123)

(ii) संसद सत्र आहूत करना

(iii) राष्ट्रपति का अभिभाषण

(iv) विधेयकों को सहमति, स्वीकृति व पुनर्विचार हेतु लौटाना।

(v) राज्य विधेयकों पर विचार करना

कार्यकारी

(1) नियुक्तियाँ - प्रधानमंत्री
अन्य मंत्री
सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश
CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य

प्रश्न क्रमांक	मुख्य परीक्षा म.प्र. लोक सेवा आयोग

(ii) समस्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के ही नाम से संपादित।

(iii) लक्षद्वीप, दादरानगर हवेली, अण्डमान का प्रशासन।

(iv) अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा।
(v) आयोगों ~~के~~ के अध्यक्ष की नियुक्ति (SC, ST, OBC, महिला आयोग)

वित्तीय

(i) धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत होते है

(ii) आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है

(iii) कोई भी अनुदान माँग राष्ट्रपति की अनुमति बिना नहीं रखी जाती

न्यायिक

(i) न्यायाधीशों की नियुक्ति (सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट)
(ii) क्षमादान की शक्तियाँ

(iii) समस्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के ही नाम से संपन्न।

(iv) लक्षद्वीप, दादरानगर हवेली, अंडमान का प्रशासन।

(iv) अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा।

(v) आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति (SC, ST, OBC, महिला आयोग)

वित्तीय

(i) धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत होता है

(ii) आकस्मिता निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है

(iii) कोई भी अनुदान माँग राष्ट्रपति की अनुमति बिना नहीं रखी जाती

न्यायिक

(i) न्यायाधीशों की नियुक्ति (सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट)

(ii) क्षमादान की शक्तियाँ

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिएं में नहीं लिखें

सैन्य

(i) तीनों सेनाओं का सेनाधिपति

(ii) कोर्ट मार्शल समाप्त करने का अधिकार

क्या राष्ट्रपति रबर स्टांप है ?

यह सत्य है कि भारत मे कार्यपालिका नाममात्र की है। राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है किन्तु निम्न मामले मे उसे स्वविवेकी शक्तियाँ है

(i) विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाना।

(ii) बहुमत खोने पर सरकार को बरखास्त करना।

(iii) प्रधानमंत्री से प्रशासनिक व विधायिका के विधायन प्रस्तावों की जानकारी माँगना।

(iv) प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी न हो तो वह स्वविवेक का उपयोग कर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

(v) स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर किसी दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रण देना।

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिए में नहीं लिखें

इस प्रकार राष्ट्रपति को पर्याप्त विवेकी शक्तियाँ प्राप्त है। साथ ही उसका पद सर्वोच्च है और शासन मे उसका स्थान अहम् है।

निष्कर्ष: ज्यादातर मामलो मे निर्णय हेतु मंत्रीपरिषद् की परामर्श पर निर्भर है किन्तु स्वविवेकी शक्तियो के होते हुए रबर स्टॉप का नाम देना तर्कसंगत नहीं होगा।

नीचे हाशिएं में नहीं लिखें

स्थानीय स्वशासन पद्धति का विकास

भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन के गुण विद्यमान रहे जैसे

अर्थशास्त्र - (i) 6 समितियाँ नगरो का प्रबंधन करती है।
(ii) ग्रामीक - ग्राम का
विषयपति - विषयो का प्रशासन

उत्तरमेरूर अभिलेख
चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का वर्णन
(i) उर - सर्वसामान्य की सभा
(ii) महासभा - अग्रहारो की सभा
(iii) नगरम → व्यापारियो की सभा

लार्ड रिपन → स्थानीय स्वशासन का जनक
भारत में स्थानीय स्वशासन का आधुनिक प्रयोग
पहला नगर निगम - मद्रास बना।

ख

बलवंत राय मेहता समिति (1957)

त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव — ग्राम, मंडल, जिला स्तर पर

अशोक मेहता समिति (1977)

द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव — मंडल स्तर, जिला स्तर

सिंघवी समिति (1986)

पंचायती राज का संवैधानिकरण की मांग।

73वाँ संविधान संशोधन अधि० 1992

24-अप्रैल-1993 से लागू

भाग-9, 243- 243 (O) तक

प्रावधान 243-A ग्राम सभा
243-D आरक्षण
243 I राज्य वित्त आयोग
243 (J) राज्य निर्वाचन आयोग

243 (K) राज्य लेखा परीक्षा

प्रश्न क्रमांक	

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिएं में नहीं लिखें

74 CAA 1993

नगरीय निकायों की स्थापना, एवं शक्ति प्रदाय

महत्व

(i) लोकतंत्र को मूर्त रूप प्रदान किया गया

(ii) सत्ता में सहभागिता एवं निर्णयन की शक्ति का जनता तक विस्तार

(iii) सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित।

(iv) स्थानीय व क्षेत्रीय समस्या का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान।

(v) स्थानीय विकास सुनिश्चित।

(vi) योजनाओं की सफलता एवं समावेशन को साकार किया।

(vii) ग्राम स्तर तक आवश्यकताओं की पहुंच

प्रश्न क्रमांक

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

नीचे हाशिए में नहीं लिखें

6

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

प्रावधान - अनुच्छेद (25-28)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसलिए यहाँ प्रत्येक धर्म को सुरक्षा प्रदान की गई है। शासन धर्म से तटस्थ रहता है।

• धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान निम्न है –

(1) "अंतःकरण की सुनने व धर्म मानने की स्वतंत्रता (अनु० - 25)

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है।

उदाहरण के लिए →

(1) सिक्खों को कृपाण रखना सिक्ख धर्म का अभिन्न अंग है अतः उन्हे स्वतंत्रता प्रदान की गई।

(ii) धार्मिक कार्य करने एवं आचरण की स्वतंत्रता (अनु 26)

प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा।

किन्तु धर्मान्तरण की स्वतंत्रता नहीं होगी।

(iii) ~~धार्मिक कर~~
करों का प्रयोग धर्म के पोषण पर नहीं किया जाएगा
(अनु 27)

अर्थात कर से प्राप्त राशि का उपयोग किसी धर्म विशेष के पोषण में नहीं किया जायेगा

(iv) अनु॰ 28
राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं

धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चितकरण के कारण

(i) भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
(ii) सर्व समानता के सिद्धान्त।
(iii) तलिक वर्ग का कल्याण।

चुनौतियाँ

(i) धर्मान्तरण के मामले।
(ii) धार्मिक कट्टरता।
(iii) धर्म आधारित हिंसा।
(iv) वोट बैंक हेतु धर्मों का ध्रुवीकरण

उपाय

(i) सेक्युलर शिक्षा पद्धति।
(ii) धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चितकरण
(iii) सुलहकुल की नीति।
(iv) सहिष्णुता के सिद्धान्त
(v) राष्ट्र सर्वोपरि का सिद्धान्त।